संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) लोनी क्षेत्र में डाक वितरण व्यवस्था संतोषजनक हैं और पात्र, तार तथा मनीआर्डर सामान्यतया समय पर वितरित किए जाते हैं। तथापि विभाग के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों जैसे डाक लाने-ले जाने वाले हवाई जहाजों/ रेल गाड़ियों और बसों का रद्द हो जाना/विलम्ब से चलना, प्राकृतिक आपदाएं, वितरण स्टाफ की कमी, कारपोरेट मेल, ग्रीटिंग मेल आदि जैसी डाक की मात्रा में अचानक और आपवादिक वृद्धि की वजह से कभी-कभार विलम्ब हो जाता हैं।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लोनी डाकघर में डाकियों के अतिरिक्त पदों का औचित्य है।

(घ) नए पदों के सजृन पर रोक लगी हुई हैं।

Illegal Fudging by Private Cellular Operators

1557. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Department of Telecommunications (DoT) is aware that many private cellular operators are allegedly fudging their monthly statements on subscriber column, volume as reported in the Economic Times, dated 12th July, 1997; and

(b) if so, what strategy is being evolved by DoT to counter the unhealthy trend of overzealous cellular licensees of four Metros reporting artifically inflated subscriber levels?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Alleged inflation in subscriber volumes has been reported in the Economic Times dated the 12th July, 1997, however, no specific details have been given in the news item.

(b) Need to investigate into alleged inflation in subscriber volumes has not been felt so far. In any case, in the case of licences for metro cities, the licensee companies are required to pay licence fee directly proportional to the number of subscribers from 4th year onwards.

Implementation of Promises on Global Telecom Pact

1558. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that FICCI has expressed concern that nothing concrete has so far been achieved by Government in creating situation for implementation of the promised India made to the World Trade Organisation on "Global Telecom Pact and Information Technology Agreement"; as reported in Hindustan Times, dated the 15th July. 1997;

(b) whether it is also a fact that Government have not so far accorded any priority in this telecom sector to fill up the vacant circle for basic services which are not filled even after there rounds of bidding; and

(c) if so, what steps Government have taken so far with regard to (a) and (b) above?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir. As per News Paper Reports.

(b) There are at present eight circles for which no valid bid exist. These circles are Keraia, West Bengal, UP (East), H.P., J&K, Assam, North East & Andaman Nicobar Islands.

(c) The Government will take decision in this regard after the present Letters of Intent are converted into Licences.

Mini-M A new portable statelite communication service

1559. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the salient features of Mini-M, the new portable satellite communication service; and

(b) whether connections are given to all applicants and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Inmarsat phone Mini-M is the new global mobile service supporting voice telephone, fax and data services at 2.4 kbps. Inmarsat phone Mini-M terminals are among the smallest and lightest approximately 2.4 kg. satellite phones as of now.

The cost of the terminal is approximately Rs. 2.75 lakhs. inclusive of all taxes and duties.

(b) DoT accords approvals on case by case basic on merits.

डाक बचत खाता धारकों के लिए नामांकन

1560. **श्री येरा नारायणस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक खाता धारक के लिए नामांकन अनिवार्य हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नामांकन के अभाव में बचत धारक के आश्रित को भुतान करने के लिए क्या नियम तथा प्रक्रिया है तथा यह भुगतान कितनी समयवधि मे करने की व्यवस्था हैं;

(ग) गोल डाकखाना प्रधान डज्ञकघर, नई दिल्ली में ऐसे खाता, धारकों की संख्या क्या हैं जो नामांकन नहीं करा पाए तथा जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल, 1996 से 1 जुलाई, 1997 तक की अवधि के दौरान हो गई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उनके आश्रितों को भुगतान कर दिया हैं; यदि नहीं तो इसके क्या कारण है तथा सरकार उनके आश्रितों को कब भुगतान करने का विचार रखती हैं?

संचार मंत्री (**श्री बेनी प्रसाद वर्मा**) : (क) डाक बचत खाताधारक के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया हैं (**नीचे देखिए**) कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती, लेकिन मामलों का तेजी से निपटान किया जाता हैं।

(ग) केवल दो मामले।

(घ) ऊपर उल्लिखित मामलों में कार्रवाई/ जांच की जा रही हैं और जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी, भुगतान कर दिया जाएगा।

विवरण-I

(क) **वह खाता जिसके सम्बन्ध में नामांकन मौजूद हो**:

(I) यदि बचत बैंक खातें के मृतक जमाकर्त्ता ने कोई नामांकन किया हो और वह डाकघर में दर्ज हो, तो ऐसे मामले में मृतक जमाकर्त्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति मृतक जमाकर्त्ता के नाम जमा रकम को उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद प्राप्त करने का हकदार हो जाते हैं चाहे रकम कुछ भी क्यों न हो उसके्र लिए उन्हें कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(II) दावेदार को यह सलाह दी जाए कि वह मृतक जमाकर्त्ता अथवा किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु, के प्रमाण के साथ नीचे दिए निर्धारित प्रपत्र में दावा पेश करें। यदि दो या दो से या अलग-अलग दावा कर सकते हैं।

(III) जहां किसी बचत खाते पर देय रकम दो या इससे अधिक नामांकित व्यक्तियों को अदा की जानी हो और उनमें किसी की मृत्यु हो गई हो, तो शेष रकम जीवित नामांकित व्यक्ति को अदा कर दी जाएगी। अंतिम ज़ीवित नामांकित व्यक्ति या एकमात्र नामांकित व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर बचत बैंक खाते के दावे का फैसला अंतिम मृतक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा। मृतक के उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं किया जाएगा।

(IV) डाकघर में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर पोस्टमास्टर नामांकन रजिस्टर के आधार पर दावे का सत्यापन करेगा और यदि वह दावा सही हो, तो वह नामांकन पर दावे के रजिस्टर, नामांकन के आवेदन-पत्र और लेजर कार्ड में उचित टिप्पणी देने के बाद नामांकित व्यक्तियों को शेष की अदायगी करने के लिए मंजूरी जारी करेगा। जब एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हो, तो नामांकित व्यक्तियों को अदायगी कर दी जाए तो खातों मे अन्य नामांकित व्यक्ति के भाग को छोड़कर अपना भाग लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पोस्टमास्टर को पासबुक अपने पास रखनी चाहिए और नामांकित व्यक्तियो, जिन्हें भुगतान कर दिया गया हैं और जिन्हें भुगतान नहीं किया गया, को अपना भाग लेने के लिए भुगतान की असलियत पासबुक डाकघर के पास हैं कि सूचना देते हुए अन्य नामांकित व्यक्तियों को नोटिस जारी